प्रभात खबर
www.prabhatkhabar.com

# 77 लाख को मिला सर्टिफिकेट

आरटीएस : आवासीय प्रमाणपत्र के आवेदन सबसे अधिक

पटना : लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत छह महीनों में 76 लाख लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र मिल चुके हैं. आरटीएस की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से पता चलता है कि 15 अगस्त के बाद अब तक 91 लाख लोगों ने विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन किया.

इनमें 77 लाख से अधिक लोगों को प्रमाणपत्र मिल गया. करीब एक लाख 18 हजार लोगों ने आनलाइन आवेदन किया और उन्हें बिना परेशानी के प्रमाणपत्र मिल गया. इस सेवा के तहत आवासीय प्रमाणपत्र लेनेवालों की संख्या सबसे अधिक है. इसके बाद जाति व आय प्रमाणपत्र हासिल करनेवाले आवेदन हैं.

आरटीएस कानून के तहत आनलाइन सेवा की शुरुआत एक दिसंबर, 2011 को की गयी . सभी प्रखंड मुख्यालयों को सॉफ्टवेयर समेत अन्य आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं.

अधिकार सॉफ्टवेयर से मॉनीटरिंग

इस सेवा की मॉनीटरिंग बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा किया जाता है. सेवा प्रदान के लिए मिशन ने अधिकार सॉफ्टवेयर बनाया है. हर प्रखंड व अंचल कार्यालय में आइटी मैनेजर की तैनाती की गयी है.

एसडीओ, डीएम व एसपी कार्यालयों में आइटी मैनेजर की तैनाती की गयी है. अधिकतर सेवाओं के लिए आवेदन की तिथि से 21 कार्य दिवस निर्धारित है. निर्धारित तिथि पर सेवा नहीं मिलने पर आवेदक द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान है. समय पर सेवा नहीं देनेवाले अधिकारियों को दंडित करने का भी प्रावधान है. अब तक 100 से अधिक अधिकारियों के खिलाफ समय पर सेवा नहीं देने की शिकायत मिली है. इसमें सर्वाधिक संख्या पटना के अधिकारियों की है.